

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/2053

दिनांक : 25-8-11

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डारों (जनरल स्टोर्स) का सुदृढीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण/स्थापना/संचालन/औषधियों के परिवहन हेतु राजकीय वाहनों को POL के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2011-12 में मा0 मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों में पूर्व में संचालित सामान्य भण्डारों (जनरल स्टोर) का सुदृढीकरण एवं पूर्व से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण, पूर्व से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों पर अतिरिक्त खिडकी या काउन्टर स्थापना तथा नये औषधि वितरण केन्द्रों की स्थापना, औषधियों के परिवहन हेतु राजकीय वाहनों को POL इत्यादि हेतु संलग्न परिशिष्ट-1 से 8 अनुसार एवं निम्न निर्देशों के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु आयोजना मद में राशि रु. 1985.42 लाख का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है।

इस बजट का उपयोग राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन द्वारा इनके पत्र क्रमांक RMSC/लेखा बजट/2011-12/178 दिनांक 10.08.2011 तथा पत्रांक 181 दिनांक 12.08.2011 (प्रतियां संलग्न) द्वारा सूचित अनुसार ही करना है तथा अंकित कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निर्देश :-

1. प्रत्येक कार्य/सामग्री हेतु आवंटित राशि अनुमान पर आधारित है तथापि इससे अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये तथा यदि सामग्री इससे कम लागत में उपलब्ध होती है तो उतनी ही राशि का व्यय किया जावे पूर्ण आवंटित राशि का नहीं।
2. आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पुनः आवंटन भी आई.एफ.एम.एस. की मैपिंग अनुसार किया जा सकता है।
3. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
4. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।
5. समस्त व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण मितव्ययता से किया जाना सुनिश्चित करावे तथा व्यय की सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवायें।

संलग्न :-

1. परिशिष्ट 1 से 8 तक
2. उपरोक्त दोनों पत्रों की प्रतियां।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

दिनांक :

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : 178 दिनांक 10.08.11 एवं 181 दिनांक 12.08.11 के क्रम में आवंटन पत्रों की प्रतियां अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (जोन)।
5. प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन विवरण को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
6. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

2653/25.8.11

Annexure-1

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur

Additional Budget Allotment for the year 2011-12


(Rs. in lacs)

S. No.	Name of CMHO	2210-03-197-(01)-[03] (Plan)		2210-01-110-(03)-[06] (Plan)	
		No. of Sub Center	18-METP	No. of Aid Post	18-METP
1	Ajmer	290	7.25	1	0.03
2	Alwar	576	14.40	0	0.00
3	Baran	206	5.15	0	0.00
4	Banswara	401	10.02	0	0.00
5	Barmer	546	13.65	0	0.00
6	Bharatpur	396	9.90	0	0.00
7	Bhilwara	415	10.37	1	0.03
8	Bikaner	383	9.57	0	0.00
9	Bundi	177	4.42	1	0.03
10	Chittorgarh	300	7.50	0	0.00
11	Churu	377	9.42	1	0.03
12	Dausa	237	5.92	0	0.00
13	Dholpur	195	4.88	0	0.00
14	Dungarpur	318	7.95	0	0.00
15	Ganganagar	350	8.75	0	0.00
16	Hanumangarh	285	7.13	0	0.00
17	Jaipur-I	284	7.10	2	0.03
18	Jaipur-II	241	6.03	0	0.00
19	Jaisalmer	137	3.43	0	0.00
20	Jalore	394	9.85	0	0.00
21	Jhalawar	274	6.85	0	0.00
22	Jhunjhunu	444	11.10	1	0.02
23	Jodhpur	579	14.48	5	0.12
24	Karauli	256	6.40	0	0.00
25	Kota	161	4.03	0	0.00
26	Nagaur	678	16.95	1	0.03
27	Pali	432	10.80	0	0.00
28	Pratapgarh	174	4.35	0	0.00
29	Rajsamand	219	5.48	0	0.00
30	S. Madhopur	228	5.70	0	0.00
31	Sikar	536	13.40	0	0.00
32	Sirohi	191	4.78	0	0.00
33	Tonk	250	6.25	0	0.00
34	Udaipur	557	13.92	0	0.00
	Total	11487	287.18	13	0.32

1. उक्त राशि राजकीय अस्पतालों/उप स्वास्थ्य केन्द्र/उच्चिकृत स्वास्थ्य केन्द्र मे संचालित दवा वितरण केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रति दवा वितरण केन्द्र राशि रु. 2500/- की दर से आवंटित की गई है जिसकी विगत निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	सामग्री/ उपकरण	अनुमानित लागत
1	रेक्स (2'x3') नग एक	1000
2	आवश्यकतानुसार मरम्मत, रंगाई-पुताई आदि	500
3	विविध व्यय	1000
	योग	2500

- उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
- इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 मे दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।


Director (PH)
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur

2653/25-8.11

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur


Annexure-2

Additional Budget Allocation for the year 2011-12

S. No.	Name of CMHO	2210-03-197-(01)-1011 (Plan)		2210-03-103-(01)-1001 (Plan)		2210-03-104-(01)-1001 (Plan)		2210-01-110-(03)-1061 (Plan)		2210-01-110-(03)-1011 (Plan)		
		No. of PHC	IB-METP	No. of PHC(Urban)	IB-METP	No. of CHC	IB-METP	No. of City Disp.	IB-METP	No. of BPL Counter	IB-METP	
1	Ajmer	43	10.75		2	0.50	11	5.50	12	6.00	11	0.11
2	Alwar	70	17.50		2	0.50	24	12.00	5	2.50	24	0.24
3	Baran	36	9.00		0	0.00	9	4.50	2	1.00	9	0.09
4	Banswara	41	10.25		1	0.25	14	7.00	6	3.00	14	0.14
5	Barnmer	61	15.25		0	0.00	14	7.00	3	1.50	14	0.14
6	Bharatpur	57	14.25		0	0.00	13	6.50	4	2.00	13	0.13
7	Bhilwara	63	15.75		1	0.25	16	8.00	7	3.50	16	0.16
8	Bikaner	39	9.75		3	0.75	10	5.00	11	5.50	10	0.10
9	Bundi	25	6.25		1	0.25	7	3.50	3	1.50	7	0.07
10	Chittorgarh	37	9.25		2	0.50	14	7.00	3	1.50	14	0.14
11	Churu	60	15.00		4	1.00	10	5.00	5	2.50	10	0.10
12	Dausa	28	7.00		0	0.00	8	4.00	1	0.50	8	0.08
13	Dholpur	21	5.25		1	0.25	6	3.00	3	1.50	6	0.06
14	Dungarpur	37	9.25		0	0.00	10	5.00	4	2.00	10	0.10
15	Ganganagar	41	10.25		1	0.25	11	5.50	5	2.50	11	0.11
16	Hanumangarh	39	9.75		0	0.00	9	4.50	2	1.00	9	0.09
17	Jaipur-I	57	14.25		3	0.75	10	5.00	3	1.50	10	0.10
18	Jaipur-II	31	7.75		6	1.50	8	4.00	5	2.50	8	0.08
19	Jaisalmer	15	3.75		0	0.00	6	3.00	2	1.00	6	0.06
20	Jalore	53	13.25		0	0.00	8	4.00	2	1.00	8	0.08
21	Jhalwar	30	7.50		0	0.00	14	7.00	3	1.50	14	0.14
22	Jhunjhunu	72	18.00		0	0.00	13	6.50	6	3.00	13	0.13
23	Jodhpur	66	16.50		4	1.00	15	7.50	14	7.00	15	0.15
24	Karauli	25	6.25		0	0.00	7	3.50	3	1.50	7	0.07
25	Kota	27	6.75		2	0.50	9	4.50	11	5.50	9	0.09
26	Nagaur	89	22.25		0	0.00	17	8.50	3	1.50	17	0.17
27	Pali	67	16.75		1	0.25	15	7.50	5	2.50	15	0.15
28	Pratapgarh	23	5.75		0	0.00	6	3.00	3	1.50	6	0.06
29	Rajsamand	36	9.00		1	0.25	7	3.50	1	0.50	7	0.07
30	S. Madhopur	22	5.50		1	0.25	4	2.00	2	1.00	4	0.04
31	Sikar	70	17.50		0	0.00	17	8.50	6	3.00	17	0.17
32	Sirohi	22	5.50		0	0.00	6	3.00	3	1.50	6	0.06
33	Tonk	45	11.25		0	0.00	7	3.50	6	3.00	7	0.07
34	Udaipur	69	17.25		1	0.25	21	10.50	10	5.00	21	0.21
	Total	1517	379.25		37	9.25	376	188.00	198	99.00	376	3.76

Note

1. ग्रामस्था केन्द्र 1517, शहरी प्रायस्था केन्द्र (Urban PHC) 37 प्रत्येक को राशि रु. 25000/- की दर से सामान्य षण्डार (जनरल स्टोर) में रेक्स प्लेट्स, ट्रांली आदि की व्यवस्था हेतु उपरोक्तानुसार बजट आवंटन है।
2. साधारण केन्द्र 376, शहरी चिकित्सालय 198 प्रत्येक को राशि रु. 0.50 लाख की दर से सामान्य षण्डार (जनरल स्टोर) में रेक्स प्लेट्स, ट्रांली आदि की व्यवस्था हेतु उपरोक्तानुसार बजट आवंटन है।
3. राजकीय अस्पतालों में पूर्व से संचालित बीपीएल दवा वितरण केन्द्रों (BPL Counter) पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त खिडकी स्थापित करने के लिये प्रत्येक साधारण केन्द्र को राशि रु. 1000/- लाख की दर से बजट आवंटन किया गया है।
4. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
5. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।


Director (PH)
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur

Annexure-3

2653/25.8.11

Additional Budget Allotment for the year 2011-12

S. No.	Name of PMO	2210-01-110-(03)-[01] (Plan)		2210-01-110-(03)-[01] (Plan)	
		Gen. Store	18-METP	No. of BPL Counter	18-METP
1	Beawar (Ajmer)	1	2.00	2	0.02
2	Sate. (Ajmer)	1	2.00	0	0.00
3	Nasirabad (Ajmer)	1	2.00	0	0.00
4	Kishangarh (Ajmer)	1	2.00	0	0.00
5	Alwar	1	2.00	2	0.02
6	Baran	1	2.00	2	0.02
7	Banswara	1	2.00	2	0.02
8	Barmer	1	2.00	2	0.02
9	Balotara (Barmer)	1	2.00	0	0.00
10	Bharatpur	1	2.00	2	0.02
11	Bhilwara	1	2.00	2	0.02
12	Sate. Shahpura (Bhilwara)	1	2.00	0	0.00
13	Sate. Bikaner	1	2.00	2	0.02
14	Bundi	1	2.00	2	0.02
15	Chittorgarh	1	2.00	2	0.02
16	Churu	1	2.00	2	0.02
17	Ratangarh (Churu)	1	2.00	0	0.00
18	Sujangarh (Churu)	1	2.00	0	0.00
19	Dausa	1	2.00	2	0.02
20	Dholpur	1	2.00	2	0.02
21	Dungarpur	1	2.00	2	0.02
22	Sagwara (Dungarpur)	1	2.00	0	0.00
23	Ganganagar	1	2.00	2	0.02
24	Hanumangarh	1	2.00	2	0.02
25	HBK (Jaipur)	1	2.00	2	0.02
26	Kotputli (Jaipur)	1	2.00	0	0.00
27	Sate. Hosp. Sethi Colony (Jaipur)	1	2.00	0	0.00
28	Sate. Banipark (Jaipur)	1	2.00	0	0.00
29	Jaipuriya Hosp (Jaipur)	1	2.00	2	0.02
30	Jaisalmer	1	2.00	2	0.02
31	Jalore	1	2.00	2	0.02
32	Jhunjhunu	1	2.00	2	0.02
33	Sate. Paota (Jodhpur)	1	2.00	2	0.02
34	Sate. Mandore (Jodhpur)	1	2.00	0	0.00
35	Mahitabagh (Jodhpur)	1	2.00	2	0.02
36	Karauli	1	2.00	2	0.02
37	Sate. Rampura (Kota)	1	2.00	2	0.02
38	Nagaur	1	2.00	2	0.02
39	Deedwana (Nagaur)	1	2.00	0	0.00
40	Ladnu (Nagaur)	1	2.00	0	0.00
41	Pali	1	2.00	2	0.02
42	Sojatcity (Pali)	1	2.00	0	0.00
43	Pratapgarh	1	2.00	2	0.02
44	Rajsamand	1	2.00	2	0.02
45	Nathdwara (Rajsamand)	1	2.00	0	0.00
46	S. Madhopur	1	2.00	2	0.02
47	Gangapurcity (S. Madhopur)	1	2.00	0	0.00
48	Sikar	1	2.00	2	0.02
49	Sirohi	1	2.00	2	0.02
50	Tonk	1	2.00	2	0.02
51	Sate. Chandpole (Udaipur)	1	2.00	2	0.02
52	Hiranmagri (Udaipur)	1	2.00	0	0.00
	Total	52	104.00	68	0.68

1. प्रत्येक पीएमओ, सेटेलाईट अस्पताल, उपजिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल को राशि रु. 2.00 लाख की दर से सामान्य भण्डार (जनरल स्टोर) में रेक्स प्लेट्स, ट्राली आदि की व्यवस्था हेतु उपरोक्तानुसार बजट मद 2210-01-110-(03)-[01] में बजट आवंटन है।

2. प्रत्येक पीएमओ, सेटेलाईट अस्पताल, उपजिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल में पूर्व से संचालित बीपीएल दवा वितरण केन्द्रों (बीपीएल काउन्टर) पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त खिडकी स्थापित करने के लिये प्रति दवा वितरण केन्द्र हेतु राशि रु. 0.01 लाख की दर से राशि बजट मद 2210-01-110-(03)-[01] में आवंटित है।

3. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।

4. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।

Director (PH)
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur

2653/25.8.11

Annexure-4

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur

Additional Budget Allotment for the year 2011-12

S. No.	Name of CMHO	2210-03-197-(01)-101 (Plan)		2210-01-789-(01)-100 (Plan)		2210-01-110-(03)-106 (Plan)		2210-03-103-(01)-100 (Plan)		(Rs. in lacs)
		No. of PHC (Rural)	18-METP	No. of City Disp.	18-METP	No. of MCWC	18-METP	No. of PHC (Urban)	18-METP	
1	Ajmer	43	12.90	12	3.60	7	2.10	2	0.60	
2	Alwar	70	21.00	5	1.50	4	1.20	2	0.60	
3	Baran	36	10.80	2	0.60	0	0.00	0	0.00	
4	Banswara	41	12.30	6	1.80	1	0.30	1	0.30	
5	Bharmer	61	18.30	3	0.90	3	0.90	0	0.00	
6	Bharatpur	57	17.10	4	1.20	3	0.90	0	0.00	
7	Bhilwara	63	18.90	7	2.10	2	0.60	1	0.30	
8	Bikaner	39	11.70	11	3.30	4	1.20	3	0.90	
9	Bundi	25	7.50	3	0.90	3	0.90	1	0.30	
10	Chittorgarh									
11	Churu	37	11.10	3	0.90	3	0.90	2	0.60	
12	Deusa	60	18.00	5	1.50	5	1.50	4	1.20	
13	Dholpur	28	8.40	1	0.30	3	0.90	0	0.00	
14	Dungarpur	21	6.30	3	0.90	2	0.60	1	0.30	
15	Ganganagar	37	11.10	4	1.20	0	0.00	0	0.00	
16	Hanumangarh	41	12.30	5	1.50	1	0.30	1	0.30	
17	Jaipur-I	39	11.70	2	0.60	4	1.20	0	0.00	
18	Jaipur-II	57	17.10	30	9.00	14	4.20	3	0.90	
19	Jaisalmer	31	9.30	9	2.70	3	0.90	6	1.80	
20	Jalore	15	4.50	5	1.50	1	0.30	0	0.00	
21	Jhalawar	53	15.90	2	0.60	4	1.20	0	0.00	
22	Jhunjhunu	30	9.00	3	0.90	3	0.90	0	0.00	
23	Jodhpur	72	21.60	6	1.80	10	3.00	0	0.00	
24	Kanoli	66	19.80	14	4.20	4	1.20	4	1.20	
25	Kota	25	7.50	3	0.90	1	0.30	0	0.00	
26	Nagar	27	8.10	11	3.30	1	0.30	2	0.60	
27	Pali	89	26.70	3	0.90	7	2.10	0	0.00	
28	Pratapgarh	67	20.10	5	1.50	11	3.30	1	0.30	
29	Rajsamand	23	6.90	3	0.90	0	0.00	0	0.00	
30	S. Madhopur	36	10.80	1	0.30	0	0.00	1	0.30	
31	Sikar	22	6.60	2	0.60	2	0.60	1	0.30	
32	Sirohi	70	21.00	6	1.80	9	2.70	0	0.00	
33	Tonk	22	6.60	3	0.90	1	0.30	0	0.00	
34	Udaipur	45	13.50	6	1.80	2	0.60	0	0.00	
	Total	69	20.70	10	3.00	0	0.00	1	0.30	
		1517	455.10	198	59.40	118	35.40	37	11.10	

1. प्रो.स्वा. केन्द्र 1517, शहरी चिकित्सालय (City Disp.) 198 मात्र एवं शिशु कल्याण केन्द्र (MCWC) 118 एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Urban PHC) 37 को प्रति दत्त वितरण केन्द्र (DDC) को राशि रु. 0.30 लाख की दर से आवंटित की गई है जिसकी विगत निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	सामग्री/ उपकरण	अनुमानित लागत
1	रेक्स (बडी) नग तीन प्रत्येक रु. 3000	9000
2	कुर्सी -नग दो प्रत्येक रु. 750	1500
3	स्टूल-1	300
4	रेफीजरेटर प्रति चिकित्सा संस्थान (165 लीटर) नग एक	8700
5	दवा वितरण काउन्टर व खिडकी	5500
6	विविध खय	5000
	योग	30000

2. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार खय किया जावे।
3. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/मुद्रणी/11/453 दिनांक 10.05.11 से दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।

Director (PH)
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur

Additional Budget Allotment for the year 2011-12

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of PMO	2210-01-789-(01)-[00] (Plan)		2210-01-789-(01)-[00] (Plan)	
		Strengthening of DDC	18-METP	Strengthening of DDC	18-METP
1	Beawar (Aimer)	3	0.73	0	0.00
2	Sate. (Aimer)	2	0.52	2	0.60
3	Nasirabad (Aimer)	2	0.52	2	0.60
4	Kishanganj (Aimer)	2	0.52	2	0.60
5	Alwar	3	0.73	0	0.00
6	Barn	3	0.73	0	0.00
7	Banwara	3	0.73	0	0.00
8	Barmer	3	0.73	0	0.00
9	Balotera (Barmer)	2	0.52	2	0.60
10	Bharatpur	3	0.73	0	0.00
11	Bhilwara	3	0.73	0	0.00
12	Sate. Shajapura (Bhilwara)	2	0.52	2	0.60
13	Sate. Bikaner	3	0.73	0	0.00
14	Bundi	3	0.73	0	0.00
15	Chittorgarh	3	0.73	0	0.00
16	Churu	3	0.73	0	0.00
17	Ratangarh (Churu)	2	0.52	2	0.60
18	Sujanagar (Churu)	2	0.52	2	0.60
19	Dausa	3	0.73	0	0.00
20	Dholpur	3	0.73	0	0.00
21	Dungarpur	3	0.73	0	0.00
22	Sagwara (Dungarpur)	2	0.52	2	0.60
23	Ganganagar	3	0.73	0	0.00
24	Hanumangarh	3	0.73	0	0.00
25	HBK (Jaipur)	3	0.73	0	0.00
26	Kotputli (Jaipur)	2	0.52	2	0.60
27	Sate. Hosp. Sethi Colony (Jaipur)	2	0.52	2	0.60
28	Sate. Banipark (Jaipur)	2	0.52	2	0.60
29	Jaipuriya Hosp (Jaipur)	3	0.73	0	0.00
30	Jaisalmer	3	0.73	0	0.00
31	Jalore	3	0.73	0	0.00
32	Jhunjhunu	3	0.73	0	0.00
33	Sate. Paota (Jodhpur)	3	0.73	0	0.00
34	Sate. Mandore (Jodhpur)	2	0.52	2	0.60
35	Mahlasah (Jodhpur)	3	0.73	0	0.00
36	Karauli	3	0.73	0	0.00
37	Sate. Rampura (Kota)	3	0.73	0	0.00
38	Nagaur	3	0.73	0	0.00
39	Deodwana (Nagaur)	2	0.52	2	0.60
40	Ladnu (Nagaur)	2	0.52	2	0.60
41	Pali	3	0.73	0	0.00
42	Sojcity (Pali)	2	0.52	2	0.60
43	Pratapgarh	3	0.73	0	0.00
44	Rajsamand	3	0.73	0	0.00
45	Nathdwara (Rajsamand)	2	0.52	2	0.60
46	S. Madhopur	3	0.73	0	0.00
47	Ganganpurcity (S. Madhopur)	2	0.52	2	0.60
48	Sikar	3	0.73	0	0.00
49	Sirohi	3	0.73	0	0.00
50	Tonk	3	0.73	0	0.00
51	Sate. Chandpole (Udaipur)	3	0.73	0	0.00
52	Hiransagar (Udaipur)	2	0.52	2	0.60
	Total	*138	34.18	**36	10.80

*1 प्रत्येक पीएमओ/ सेटेलाईट/उपजिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल को पूर्व में संचालित दवा वितरण केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रति दवा वितरण केन्द्र राशि रु. 21300/- तथा प्रति चिकित्सा संस्थान रेफीजरेटर हेतु राशि रु. 8700/- की दर से बजट मद 2210-01-789-01-00-18 में आवंटित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सामग्री/ उपकरण	अनुमानित लागत
1	रेक्स (बडी) नग तीन प्रत्येक रु. 3000	9000
2	कुर्सी -नग दो प्रत्येक रु. 750	1500
3	स्टूल-1	300
4	दवा वितरण काउन्टर व खिडकी	5500
5	विविध व्यय	5000
	योग	21300
1	रेफीजरेटर प्रति चिकित्सा संस्थान (165 ली0) नग एक	8700

*2. प्रत्येक पीएमओ/ सेटेलाईट/उपजिला अस्पताल (12) में उपलब्ध स्थान/कमरों में ही साईनर सिविल वर्क, मेन्टीनेंस व अपग्रेडेशन कार्य करवाकर 2 नये दवा वितरण केन्द्र स्थापित करने हेतु बजट मद 2210-01-789-01 में प्रति दवा वितरण केन्द्र राशि रु. 0.30 लाख की दर से राशि आवंटित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सामग्री/ उपकरण	अनुमानित लागत
1	रेक्स (बडी) नग तीन प्रत्येक रु. 3000	9000
2	कुर्सी -नग दो प्रत्येक रु. 750	1500
3	स्टूल-1	300
4	दवा वितरण काउन्टर व खिडकी	5500
5	विविध व्यय	5000
6	एल्यूमिनियम व ग्लास वर्क आदि	8700
	योग	30000

- उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
- इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.08.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।

Director (PH)
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur

Additional Budget Allotment for the year 2011-12

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of CMHO	2210-01-196-(01)-[01] (Plan)	
		07-MMV	
1	Ajmer		2.00
2	Alwar		2.00
3	Baran		2.00
4	Banswara		2.00
5	Barmer		2.00
6	Bharatpur		2.00
7	Bhilwara		2.00
8	Bikaner		2.00
9	Bundi		2.00
10	Chittorgarh		2.00
11	Churu		2.00
12	Dausa		2.00
13	Dholpur		2.00
14	Dungarpur		2.00
15	Ganganagar		2.00
16	Hanumangarh		2.00
17	Jaipur-I		2.00
18	Jaipur-II		2.00
19	Jaisalmer		2.00
20	Jalore		2.00
21	Jhalawar		2.00
22	Jhunjhunu		2.00
23	Jodhpur		2.00
24	Karauli		2.00
25	Kota		2.00
26	Nagaur		2.00
27	Pali		2.00
28	Pratapgarh		2.00
29	Rajsamand		2.00
30	S. Madhopur		2.00
31	Sikar		2.00
32	Sirohi		2.00
33	Tonk		2.00
34	Udaipur		2.00
	Total		68.00

1. उक्त राशि जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) से संबंधित जिलों के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सा0स्वा0 केन्द्र, उपखण्ड स्तरीय/ सेटेलाइट अस्पताल, जिला अस्पतालों आदि तक दवाईयों का परिवहन चिकित्सा विभाग के राजकीय वाहनों से करने पर पी.ओ.एल. आदि पर होने वाले व्यय का भुगतान करने हेतु आवंटित किया गया है।

2. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।

3. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/ 453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।

Director (PH)
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur

Additional Budget Allotment for the year 2011-12


(Rs. in lacs)

S. No.	Name of CMHO	2210-01-196-(01)-[01] (Plan)	
		41-Cont. Serv.	
1	Ajmer		4.00
2	Alwar		4.00
3	Baran		4.00
4	Banswara		4.00
5	Barmer		4.00
6	Bharatpur		4.00
7	Bhilwara		4.00
8	Bikaner		4.00
9	Bundi		4.00
10	Chittorgarh		4.00
11	Churu		4.00
12	Dausa		4.00
13	Dholpur		4.00
14	Dungarpur		4.00
15	Ganganagar		4.00
16	Hanumangarh		4.00
17	Jaipur-I		4.00
18	Jaipur-II		4.00
19	Jaisalmer		4.00
20	Jalore		4.00
21	Jhalawar		4.00
22	Jhunjhunu		4.00
23	Jodhpur		4.00
24	Karauli		4.00
25	Kota		4.00
26	Nagaur		4.00
27	Pali		4.00
28	Pratapgarh		4.00
29	Rajsamand		4.00
30	S. Madhopur		4.00
31	Sikar		4.00
32	Sirohi		4.00
33	Tonk		4.00
34	Udaipur		4.00
	Total		136.00

1. आर.एम.एस.सी. के पत्रांक 181 दिनांक 12.08.2011 के अनुसार सहाकारिता विभाग के औषधि वितरण केन्द्रों के संचालन व्यय हेतु सहाकारिता विभाग द्वारा क्लेम प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाना है। उक्त राशि सहाकारिता विभाग के वे औषधि वितरण केन्द्र जिनका उपयोग केवल निशुल्क औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में किया जाना है राशि रु. 0.25 लाख प्रतिमाह की दर से एवं जिनका उपयोग संयुक्त (भुगतान एवं निशुल्क औषधियों) औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में किया जाना है उन्हें रु. 0.11 लाख प्रतिमाह किया जाना है।

2. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।

3. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/ 453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।


Director (PH)
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur

1
Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur

Additional Budget Allotment for the year 2011-12

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of PMO	2210-01-196-(01)-[01] (Plan)
		41-Cont. Serv.
1	Beawar (Ajmer)	2.00
2	Sate. (Ajmer)	2.00
3	Nasirabad (Ajmer)	2.00
4	Kishangarh (Ajmer)	2.00
5	Alwar	2.00
6	Baran	2.00
7	Banswara	2.00
8	Barmer	2.00
9	Balotara (Barmer)	2.00
10	Bharatpur	2.00
11	Bhilwara	2.00
12	Sate. Shal.pura (Bhilwara)	2.00
13	Sate. Bikaner	2.00
14	Bundi	2.00
15	Chittorgarh	2.00
16	Churu	2.00
17	Ratangarh (Churu)	2.00
18	Sujangarh (Churu)	2.00
19	Dausa	2.00
20	Dholpur	2.00
21	Dungarpur	2.00
22	Sagwara (Dungarpur)	2.00
23	Ganganagar	2.00
24	Hanumangarh	2.00
25	HBK (Jaipur)	2.00
26	Kotputli (Jaipur)	2.00
27	Sate. Hosp. Sethi Colony (Jaipur)	2.00
28	Sate. Banipark (Jaipur)	2.00
29	Jaipuriya Hosp (Jaipur)	2.00
30	Jaisalmer	2.00
31	Jalore	2.00
32	Jhunjhunu	2.00
33	Sate. Paota (Jodhpur)	2.00
34	Sate. Mandore (Jodhpur)	2.00
35	Mahilabagh (Jodhpur)	2.00
36	Karauli	2.00
37	Sate. Rampura (Kota)	2.00
38	Nagaur	2.00
39	Deedwana (Nagaur)	2.00
40	Ladnu (Nagaur)	2.00
41	Pali	2.00
42	Sojatcity (Pali)	2.00
43	Pratapgarh	2.00
44	Rajsamand	2.00
45	Nathdwara (Rajsamand)	2.00
46	S. Madhopur	2.00
47	Gangapurcity (S. Madhopur)	2.00
48	Sikar	2.00
49	Sirohi	2.00
50	Tonk	2.00
51	Sate. Chandpole (Udaipur)	2.00
52	Hiranmagri (Udaipur)	2.00
	Total	104.00

1. आर.एम.एस.सी. के पत्रांक 181 दिनांक 12.08.2011 के अनुसार सहाकारिता विभाग के औषधि वितरण केन्द्रों के संचालन व्यय हेतु सहाकारिता विभाग द्वारा क्लेम प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाना है। उक्त राशि सहाकारिता विभाग के वे औषधि वितरण केन्द्र जिनका उपयोग केवल निशुल्क औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में किया जाना है राशि रु. 0.25 लाख प्रतिमाह की दर से एवं जिनका उपयोग संयुक्त (भुगतान एवं निशुल्क औषधियों) औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में किया जाना है उन्हें रु. 0.11 लाख प्रतिमाह किया जाना है।

2. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।

3. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।

Director, (PH)
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur

राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: आरएमएससी/लेखा बजट/2011-12/178

दिनांक 10/8/11

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एफडबल्यू/एमएसयू
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डारों (General Stores) का सुदृढीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण/स्थापना/संचालन के लिए बजट प्रावधान करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2011-12 में मा0 मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 47-48 की अनुपालना में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (RMSC) का गठन किया जाकर दिनांक 02.10.2011 से राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयों निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु किया गया है।

बजट घोषणा की अनुपालना हेतु विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयों के निःशुल्क वितरण हेतु पूर्व से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों पर अतिरिक्त खिडकी या काउन्टर स्थापना तथा नये औषधि वितरण केन्द्रों की स्थापना की जानी है। इसके साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के सामान्य भण्डारों (General Stores) का सुदृढीकरण भी किया जाना है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग द्वारा संचालित औषधि वितरण केन्द्रों का भी निःशुल्क औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जाना है।

उपर्युक्तानुसार चिकित्सा संस्थानों के सामान्य भण्डारों का सुदृढीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण/स्थापना/संचालन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 8.8.2011 को आयोजित बैठक एवं RMSC के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 25.07.2011 के निर्णय अनुसार प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा अपने अधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक चिकित्सालयों के सचिव एवं निदेशक, जन स्वास्थ्य/ आरसीएच/एफडबल्यू/एमएसयू द्वारा अपने अधीन चिकित्सा संस्थानों के सचिव अपनी आवश्यकतानुसार प्रावधान वर्ष 2011-12 की अनुपूरक माँगों (Supplementary Demands) में वित्त (बजट अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.4(1) वित्त -1 (1) आ.व्य./2011 दिनांक 21 जुलाई 2011 के अनुसार करवाया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार आर.एम.एस.सी. के आंकलन के अतिरिक्त भी अधिक बजट की माँग पूर्व में संबंधित बजट शीर्ष में आवंटित बजट का समायोजन करते हुए सम्भावित हो तो रादनुरूप ही अनुपूरक माँगों में प्रस्ताव सम्मिलित करके वित्त विभाग को प्रेषित करवाने का श्रम करें।

संलग्न:- सुलग संन्दर्भ हेतु आर.एम.एस.सी. द्वारा किया गया आंकलन।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, आरएमएससी एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज0 सरकार।
2. निदेशक वित्त (बजट), वित्त विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

निदेशक जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एफडब्ल्यू/एमएसयू के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में औषधियों के चिकित्सा संस्थान स्तर पर भण्डारण (General Store) व औषधि वितरण व्यवस्था के लिए बजट आंकलन राशि रुपये 22.78 करोड़

1. चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डार (General Store) में रेतस, पेलेट्स, ट्रॉली आदि की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी :-

निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एफडब्ल्यू/एमएसयू :-

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) संख्या - 1517, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Urban PHC) संख्या - 37 @ ₹ 25,000 = राशि ₹ 388.50 लाख
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या - 376, शहरी चिकित्सालय संख्या - 198 @ ₹ 50,000 = राशि ₹ 287.00 लाख
- सेटेलाइट अस्पताल संख्या - 6, उप-जिला अस्पताल संख्या - 12 एवं जिला अस्पताल संख्या - 34 @ ₹ 2.00 लाख = राशि ₹ 104.00 लाख

कुल राशि ₹ = 779.50 लाख

2. विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्थापित किये जाने वाले औषधि वितरण केन्द्रों (DDCs) के लिये निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी :-

- (i) राजकीय अस्पतालों में पूर्व से संचालित दवा वितरण केन्द्रों (DDCs) के सुदृढीकरण हेतु निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी:-
- उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चिकृत उप-स्वास्थ्य केन्द्र पर दवा वितरण केन्द्र (DDC) कुल 11,500 के सुदृढीकरण हेतु प्रति दवा वितरण केन्द्र राशि रुपये 2500 की आवश्यकता होगी जिसकी विगत निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	DDC की संख्या	सामग्री/उपरकरण	लागत	कुल राशि लाख ₹ में
1	SC - 11487 एवं	रेक्स (2'x3') - 1 @ Rs. 1000	1000	115.00
2	AID Post - 13	आवश्यकतानुसार मरम्मत, रंगाई-पुताई आदि	500	57.50
3		विविध व्यय	1000	115.00
योग	11500		2500	287.50

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) - 1517, शहरी चिकित्सालयों (City Dispensary) - 198, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र (Mother & Child Welfare Centre) - 118, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Urban PHC) - 37, सेटेलाइट (6) एवं उप-जिला अस्पताल (12) - 46 एवं जिला अस्पताल (34) - 119 पर दवा वितरण केन्द्र (DDC) कुल 2035 के सुदृढीकरण हेतु प्रति दवा वितरण केन्द्र राशि ₹ 30,000/- की आवश्यकता होगी जिसकी विगत निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	DDC की संख्या	सामग्री/उपरकरण प्रति DDC	लागत ₹	कुल राशि लाख ₹ में
1	2035	रेक्स (बड़ी) - 3 @ Rs. 3000	9000	183.15
2		कुर्सी - 2 @ Rs. 750	1500	30.53
3		स्टूल - 1	300	6.11
4		रैफिजर/रेफ्रिजरेटर प्रति चिकित्सा संस्थान	8700	171.53

		(165 ली०) - 1 @ Rs. 8700x1972		
5		दवा वितरण काउन्टर व खिड़की	5500	111.93
6		विविध व्यय		
योग	2035		5000	101.75
			30000	605.03

इस तरह उक्तानुसार चिकित्सा संस्थानों में पूर्व से संचालित दवा वितरण केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु राशि ₹ 892.53 लाख की आवश्यकता होगी।

(ii) इसी तरह राजकीय अस्पतालों में पूर्व से संचालित बीपीएल दवा वितरण केन्द्रों (BPL Counter) - 446 पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त खिड़की स्थापित करने के लिये प्रत्येक को राशि ₹ 1000 प्रति दवा वितरण केन्द्र के अनुसार कुल राशि ₹ 4.46 लाख की आवश्यकता होगी।

(iii) राजकीय अस्पतालों में नये दवा वितरण केन्द्र (DDC) स्थापित करने के लिये निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी :-

सेटलाइट (6) एवं उप-जिला अस्पताल (12) पर नये दवा वितरण केन्द्र :-

क्र०सं०	DDC की संख्या	सामग्री/उपकरण	लागत ₹०	कुल राशि लाख ₹० में
1	46	रेक्स (बड़ी) □ - 3 @ Rs. 3000	9000	4.14
2		कुर्सी - 2 @ Rs. 750	1500	0.69
3		स्टूल - 1 @ Rs. 300	300	0.14
4		दवा वितरण काउन्टर व खिड़की आदि	5500	2.53
5		विविध व्यय	5000	2.30
6		एल्यूमीनियम व ग्लास वर्क आदि	8700	4.00
योग			30000	13.80

नोट :- सेटलाइट व उप-जिला अस्पतालों में नये दवा वितरण केन्द्र स्थापित करने के लिये उपलब्ध स्थान/कमरे में ही माईनर सिविल वर्क, मेन्टीनेन्स व अपग्रेडेशन कार्य करवाकर ही संचालित किया जाना है।

नये आरक्षित औषधि वितरण केन्द्र (DDC) सं० - 100 के लिए वर्ष 2011-12 की शेष अवधि के लिए बजट आवश्यकता :-

• सिविल कार्य @ Rs. 2.25 Lacs = राशि ₹ 225.00 लाख व कार्मिक मानदेय @ Rs. 25,000 प्रतिमाह x 6 = राशि ₹ 150.00 लाख

• सहकारिता के माध्यम से औषधि वितरण केन्द्रों (DDC) के संचालन के लिये वर्ष 2011-12 की शेष अवधि के लिए बजट आवश्यकता - वर्तमान में राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 652 औषधि वितरण केन्द्र CONFED के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। इन औषधि वितरण केन्द्रों को ही निःशुल्क औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में उपयोग में लिया जाना है। जिनकी विगत निम्न प्रकार है :-

1. सहकारिता विभाग के वे औषधि वितरण केन्द्र जिनका उपयोग केवल निःशुल्क औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में किया जाना है - सं०-145 @ राशि ₹ 25000 प्रतिमाह x 6 = राशि ₹ 217.50 लाख

2. सहकारिता विभाग के वे औषधि वितरण केन्द्र जिनका उपयोग संयुक्त (भुगतान एवं निःशुल्क औषधियाँ) औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में किया जाना है - सं०-332 @ राशि ₹ 11000 प्रतिमाह x 6 = राशि ₹ 219.12 लाख

अत्यावश्यक

राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: आरएमएससी / लेखा बजट / 2011-12 / 11

दिनांक: 17/10/11

निदेशक, जन स्वास्थ्य

स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं० 47-48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) सं०-34 के सुदृढीकरण हेतु राशि रू० 3.4 करोड़ एवं जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) से विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक औषधियों के परिवहन हेतु राशि रूपे 3.4 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2011-12 में मा० मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 47-48 की अनुपालना में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (RMSC) का गठन किया जाकर दिनांक 02.10.2011 से राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली-आवश्यक-दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में आर.एम.एस.सी. द्वारा क्रय की जा रही औषधियों के जिला स्तर पर भण्डारण हेतु राज्य के समस्त जिलों में जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) की स्थापना की गई है या की जा रही है। उक्त 34 जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) को सुसज्जित (रंगाई-पुताई, सूचनापट्ट, विद्युत फिटिंग्स, पेयजल की व्यवस्था, फर्नीचर व फिक्चर्स व रेक्स, कीट नियंत्रण, टॉयलेट ब्लाक्स, काउंकेचर, अपरोच रोड, फाईबर सीट, एक्जास्ट पंखे आदि कार्य) करवाने के लिये प्रत्येक DDW के लिये अनुमानित राशि रूपये @ 10 लाख के अनुसार कुल राशि रू० 3.40 करोड़ की आवश्यकता होगी।

इसी तरह से 34 जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) से सम्बन्धित जिलों के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपखण्ड स्तरीय/सेटेलाइट अस्पताल, जिला अस्पताल आदि तक दवाईयों के परिवहन के लिये प्रत्येक जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) को अनुमानित राशि रू० 10 लाख के अनुसार कुल राशि रू० 3.4 करोड़ की आवश्यकता होगी। जिला औषधि भण्डार गृहों से जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में औषधियों के परिवहन हेतु चिकित्सा विभाग के वाहनों को प्रति किलोमीटर की दर से पी.ओ.एल. का भुगतान किया जावेगा तथा विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं होने की दशा में नियमानुसार वाहन किराये का भुगतान किया जावेगा।

उक्तानुसार राशि की तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित बजट शीर्ष में राशि रू० 6.8 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करवाते हुए उक्तानुसार जिला औषधि भण्डार गृहों का सुदृढीकरण एवं विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक औषधियों का परिवहन करवाना सुनिश्चित कराएँ। वर्तमान में जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) का प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धित CM&HO के अधीन है। उक्त प्रस्तावित अतिरिक्त आवंटन सैद्धान्तिक रूप से वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराएँ।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, आरएमएससी एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज० सरकार।
2. निदेशक, दित्त (बजट), वित्त विभाग, राज० सरकार, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (वि.सं.)